भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय
जयहरीखाल (गढ़वाल)

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय से संबद्ध

प्रवेश-निर्देशिका

2024-25

ई-मेल : principal_lansdowne@rediffmail.com
वेबसाइट : www.gpgcjaiharikhal.ac.in

मूल्य- ₹ 60/- मात्र

छात्र–छात्राओं के लिए अनुपालनीय निर्देश एवं नियम

1. छात्र–छात्राओं से अपेक्षा की जाती है, कि वे अनुशासित रहते हुए अध्ययनशील रहेंगे और महाविद्यालय का स्तर एवं गरिमा बढ़ाने में हर समय सहयोग देंगे।
2. विद्यार्थी की प्रत्येक विषय में 75 प्रतिशत / बी.एड. में 80 प्रतिशत उपस्थित अनिवार्य है।
3. प्रत्येक छात्र / छात्रा को प्रवेश लेने के तुरन्त बाद मुख्य शास्ता (चीफ प्रोक्टर) से सम्पर्क कर अपना परिचय–पत्र (आइडेंटिटी कार्ड) प्राप्त कर लेना चाहिए और उसे हमेशा अपने पास रखना चाहिए। किसी भी समय माँगे जाने पर परिचय–पत्र दिखाना आवश्यक है।
4. शुल्क जमा करने के पश्चात् सम्बन्धित विषयों के प्राध्यापकों से व्याख्यान पंजिका में अपना नाम लिखाना छात्र / छात्रा की व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
5. प्रभावी हो जाने के उपरान्त महाविद्यालय समय–सारणी में किसी भी प्रकार का परिवर्तन संभव नहीं होगा।
6. महाविद्यालय कार्यालय में जो भी शुल्क जमा किया जाये उसकी रसीद प्राप्त करना आवश्यक है। अन्यथा किसी भी प्रकार की क्षति के लिए छात्र / छात्रा स्वयं जिम्मेदार होंगे।
7. महाविद्यालय परिसर में रैगिंग जैसे आपराधिक कृत्य से सदैव बचे रहें।
8. छात्र / छात्राओं को अपने विभिन्न शैक्षिक एवं सह–शैक्षिक क्रियाकलापों के लिए सम्बन्धित प्रभारी प्राध्यापकों से आवश्यक जानकारी प्राप्त करनी चाहिए।
9. गत वर्ष की परीक्षा में अनुचित सामग्री प्रयोग करते हुये पकड़े गये अभ्यर्थी प्रवेश हेतु आवेदन न करें।
10. महाविद्यालय के किसी अधिकारी / कर्मचारी से गैर इरादतन हो गयी किसी त्रुटि का अनुचित लाभ उठाने हेतु कोई वाद अदालत में दायर नहीं किया जा सकेगा।
11. समय–समय पर दी जाने वाली सूचनाओं से अवगत होने के लिए छात्र–छात्राओं को सूचनापट्ट पर अंकित सूचनाएँ ध्यान से पढ़नी चाहिए।

महाविद्यालय परिसर में तम्बाकू (बीड़ी, सिगरेट, गुटखा इत्यादि) शराब या किसी भी मादक द्रव्य का सेवन करना दण्डनीय अपराध है।

अनुक्रमणिका

क्रमांक	शीर्षक	पृष्ठ संख्या
1.	परिचय	2
2.	पुरोवाक्	3
3.	श्री भक्त दर्शन का संक्षिप्त परिचय	4
4.	प्रवेशार्थी निर्देशिका	6
5.	दूरस्थ शिक्षा	8
6.	अनुशासन	9
7.	अन्य सुविधाएँ	10
8.	शिक्षणेतर एवं पाठ्यसहगामी क्रियाकलाप	12
9.	प्रवेश–प्रक्रिया व नियम	13
10.	शुल्क विवरण	17
11.	महाविद्यालय परिवार	18
12.	प्रवेश आवेदन पत्र	परिशिष्ट–1
13.	पुस्तकालयध्शास्ता पत्र	परिशिष्ट–2
14.	शुल्क चालान	परिशिष्ट–3
15.	शपथ पत्र प्रारूप	परिशिष्ट–4
16.	महाविद्यालय वार्षिक पंचांग	विवरणिका के पश्च आवरण पर

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल)

परिचय (Introduction)

'शिक्षा से ही व्यक्ति की आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति तथा समाज का अभ्युदय हो सकता है' के विचार एवं इस 'ग्रामीण पर्वतीय क्षेत्र में उच्च शिक्षा के प्रसार' के संकल्प के साथ उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 17 अगस्त 1972 ई. को राजकीय महाविद्यालय जयहरीखाल की स्थापना हुई। प्रारम्भ में इसका संचालन जयहरीखाल में स्थित राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज के परिसर में किया गया। मई 2004 ई. में महाविद्यालय को स्यालगाँव में, स्थानीय जनता के द्वारा दान की गयी 3.581 हेक्टेयर (178.75 नाली) भूमि पर निर्मित अपने भवन में, स्थानान्तरित कर दिया गया। 1972 ई. प्रारम्भ की गयी ज्ञान–यात्रा में महाविद्यालय ने कई सोपान देखे हैं। वर्ष 1975 ई. में इसे हेमवती नन्दन बहुगुणा गढ़वाल विश्वविद्यालय से अस्थायी तथा 1 अगस्त 1984 ई. से स्थायी सम्बद्धता प्राप्त हुई। महाविद्यालय को 19 सितम्बर 1983 ई. को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा यूजीसी अधिनियम 1956 के अनुच्छेद 2 एफ एवं 12 बी के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त हुई। आरम्भिक वर्ष 1972 ई. में मात्र विज्ञान संकाय के पाँच विषयों– वनस्पति विज्ञान, जन्तु विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित एवं भौतिक विज्ञान में शिक्षण कार्य प्रारम्भ हुआ। धीरे–धीरे संकायों एवं विषयों की संख्या बढ़ती गयी। वर्ष 1975 ई. में अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, हिन्दी एवं संस्कृत विषयों के साथ कला संकाय की स्थापना की गयी, जिसमें वर्ष 1988 ई. में इतिहास एवं राजनीति विज्ञान तथा वर्ष 1989 ई. में भूगोल विषय भी जुड़ गये। 1989 ई. में वाणिज्य संकाय की भी स्थापना हुई। सत्र 2004–05 से महाविद्यालय में स्नातकोत्तर स्तर पर विभिन्न विषयों में अध्यापन प्रारम्भ कर दिया गया। वर्ष 2008 ई. में शिक्षक–शिक्षा संकाय की स्थापना की गयी तथा स्ववित्तपोषित बी.एड. का पाठ्यक्रम प्रारम्भ किया गया। राष्ट्रीय मूल्यांकन एवं प्रत्यायन परिषद् (NAAC) द्वारा वर्ष 2016 ई. में महाविद्यालय को 'B' ग्रेड प्रदान किया गया।

मनःसृष्टि (Vision)

शिक्षा से व्यक्ति की आध्यात्मिक एवं भौतिक प्रगति तथा समाज का अभ्युदय।

संकल्प (Mission)

समुचित, प्रासंगिक एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के द्वारा ग्रामीण पर्वतीय जन का समग्र विकास।

उद्देश्य (Objectives)

- ग्रामीण पर्वतीय जनता, विशेष रूप से वंचित एवं कमजोर समुदाय में उच्च शिक्षा का प्रसार।
- वैज्ञानिक एवं नैतिक शिक्षा का संवर्द्धन एवं शैक्षणिक उन्नयन।
- विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास।
- उदार एवं पारम्परिक मूल्यों का विकास।

सूत्रवाक्य (Motto)

'विद्ययाऽमृतमश्नुते' - विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है। - ईशोपनिषद्।

पुरोवाक्...

प्रिय विद्यार्थी!

भक्त दर्शन, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, जयहरीखाल परिवार में आपका स्वागत है। आधी सदी हुई जब इस क्षेत्र के सुधी जननायकों ने यहाँ के युवा को उच्च शिक्षा सुलभ करवाने के लिए एक नजदीकी महाविद्यालय की स्थापना का स्वप्न साकार किया और अस्तित्व में आया हमारा यह महाविद्यालय। तब से यह ज्ञानधारा अपने अमृत से कई मस्तिष्कों की ज्ञान-पिपासा को तृप्त करते हुए एक लम्बी यात्रा तय कर चुकी है।

देश भर से चयनित विद्वान प्राध्यापकों के ज्ञान का लाभ उठाकर, महाविद्यालय ने क्षेत्रीय युवाओं को विविध विद्या-शाखाओं में दीक्षित करते हुए, राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न आयामों में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले नागरिक प्रदान किये हैं। हमारे पास पूर्व-छात्रों की सुदीर्घ परंपरा है, जो शिक्षा, समाज, राजनीति, राजकीय सेवाओं और सेना इत्यादि में कर्मरत होकर देश को समृद्ध कर रहे हैं। आशा है कि आप भी उनसे प्रेरित होंगे व महाविद्यालय की गौरवपूर्ण परंपरा को आगे बढ़ायेंगे।

वर्तमान में महाविद्यालय के विविध विषयों के विशेषज्ञ प्राध्यापक आपको आपके चयनित ज्ञानपथ पर अग्रसर होने में और आपके ज्ञानार्जन को सरल व सुगम बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं। महाविद्यालय की कक्षाएँ, प्रयोगशालाएँ, पुस्तकालय, मंच और खेल का मैदान इत्यादि आपके हुनर को परखने, निखारने और कुशलता तक पहुँचाने के लिए आतुर हैं।

यह प्रवेश-निर्देशिका आपको इस महाविद्यालय के समस्त पक्षों का परिचयात्मक विवरण देते हुए प्रवेश प्रक्रिया, प्रवेश नियमों व महाविद्यालय में आपके अध्ययन काल में अपेक्षित आचरण-संस्कृति से परिचित करवाती है।

आप महाविद्यालय और उच्च शिक्षा की विराट परंपरा को आत्मसात कर अपने चयनित पाठ्यक्रम में कुशलता पाते हुए देश के योग्यतम् नागरिक की गरिमा को लब्ध करें, इस शुभाशंसा के साथ महाविद्यालय आपके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता है।

(प्रो. लवनी आर. राजवंशी)
प्राचार्य

भक्त दर्शन (1912-1991ई.)
जीवन–परिचय

श्री भक्तदर्शन (1912-1991 ई.)

स्वाधीनता आंदोलन के अग्रणी नेता तथा महान स्वतंत्रता सेनानी श्री भक्त दर्शन बहुमुखी तथा विलक्षण व्यक्तित्व के धनी थे। उन्होंने राजनीति, साहित्य, शिक्षा, पत्रकारिता तथा सार्वजनिक जीवन में अद्वितीय मानक स्थापित किये। इस महान तथा कालजयी विभूति का आविर्भाव तत्कालीन संयुक्त प्रांत के बस्ती जनपद के बासी तहसील में हुआ था, जहाँ उनके पिता ठाकुर गोपाल सिंह रावत राजस्व विभाग में अधिकारी थे। गोपाल सिंह रावत उत्तराखंड के पौड़ी जनपद के ग्राम भौराड़, पट्टी साबली के निवासी थे। भक्त दर्शन के बाल्यावस्था का नाम राजदर्शन था जिसे उन्होंने बदलकर भक्त दर्शन कर लिया, क्योंकि राजदर्शन संज्ञा से राजसत्ता को महत्ता देने जैसा भाव प्रकट होता था। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पिता के सान्निध्य में हुई तथा हाईस्कूल–इंटरमीडिएट की शिक्षा डी.ए.वी. कॉलेज देहरादून से हुई। गुरुदेव रवीन्द्र नाथ ठाकुर के प्रख्यात शिक्षा केन्द्र शांति निकेतन से स्नातक परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद इन्होंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय से एम.ए. की डिग्री प्राप्त की।

ब्रिटिश हुकूमत के दमनकारी और उत्पीड़क शासन के खिलाफ गाँधी जी के द्वारा आहूत भारत व्यापी नमक सत्याग्रह में भक्त दर्शन ने सक्रिय सहभाग लिया। 9 जून, 1930 ई. को पौड़ी में कुमाऊँ के राजनीतिक कार्यकर्ताओं का हरगोविंद पंत के सभापतित्व में अधिवेशन बुलाया गया और तदुपरांत जिला कांग्रेस कमेटी की विधिवत् स्थापना की गयी। भक्त दर्शन की अगुवाई में कांग्रेस के तत्वावधान में सत्याग्रह समिति का गठन किया गया तथा गढ़वाल में पुनर्गठित कांग्रेस समिति को प्रांतीय कांग्रेस समिति से संबद्ध कर सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित करने की रूपरेखा तैयार की गयी। लगानबंदी, शराब की दुकानों पर धरना, सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना, सामूहिक सत्याग्रह कर ब्रिटिश शासन का विरोध करना इत्यादि इस समिति के प्रमुख कार्य थे। लगानबंदी के मुददे पर निर्णय लेने के लिए प्रांतीय कांग्रेस समिति से स्वीकृति लेना आवश्यक समझा गया तथा इस हेतु युवा भक्त दर्शन को अधिकृत किया गया। देहरादून में भक्त दर्शन को गढ़वाल में आंदोलन की रणनीति बनाने के अभियोग में 3 माह के कारावास की सजा सुनायी गयी।

1937 ई. में संयुक्त प्रांत में कांग्रेस मंत्रिमंडल की स्थापना हुई जिसके परिणामस्वरूप आम जनमानस में उत्साह का संचार हुआ तथा जनकल्याणकारी कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की अपेक्षाएँ और उम्मीदें बलवती हो गयी। 5 और 6 मई, 1938 ई. को श्रीनगर (गढ़वाल) में जवाहर लाल नेहरू ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के सम्मेलन का उद्घाटन किया तथा 18 सूत्रीय मांगों पर सहमति व्यक्त करते हुए जनता के साथ पूर्ण सहयोग का वचन दिया, किंतु जिला कांग्रेस कमेटी की चेतावनी और नेहरू जी के आश्वासन के बावजूद स्थानीय जनता की मांगों के प्रति उपेक्षापूर्ण रवैये के कारण कांग्रेस कार्यकर्ताओं का रोष बढ़ता गया। भक्त दर्शन एक परिपक्व तथा दूरदर्शी राजनेता के रूप में पहले कांग्रेस फिर गढ़वाल के क्षेत्रीय हितों को प्राथमिकता देने के पक्षधर थे। भक्त दर्शन का मानना था कि इस प्रकार का अंतर्विरोध राष्ट्रीय आंदोलन की धारा को कमजोर कर सकता है।

1942 ई. के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान इन्हें जयहरीखाल में गिरफ्तार किया गया तथा 18 अगस्त, 1942, से 17 जनवरी, 1944 ई. तक नजरबंद रखा गया। कारावास की यातनापूर्ण अवधि का इन्होंने रचनात्मक उपयोग किया तथा अपनी पुस्तक 'गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ' की पांडुलिपि तैयार की। गाँधी के राष्ट्रवादी आंदोलनों के समानांतर टिहरी रियासत में भी दमनकारी राजशाही के विरुद्ध श्रीदेव सुमन के नेतृत्व में बगावत की लपटें जोर से फैल रही थी। भक्त दर्शन ने 'कर्मभूमि' पत्र के माध्यम से टिहरी रियासत की जनता के जनांदोलन का नैतिक समर्थन किया।

84 दिनों तक अनवरत अनशन करते हुए श्रीदेव सुमन ने अपने प्राणों की आहुति दे दी। 31 दिसंबर, 1945 ई. को पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुई लोक परिषद् की उदयपुर बैठक में भक्त दर्शन ने श्रीदेव सुमन को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि सुमन ने हिम्मत और त्याग का जो आदर्श उपस्थित किया है वह चिरस्मरणीय रहेगा।

स्वतंत्रता संग्राम के अग्रणी नेताओं ने पत्रकारिता के द्वारा भी भारतीय जनमानस को राजनीतिक प्रशिक्षण

दिया तथा ब्रिटिश विरोधी चेतना को एकजुट किया। गाँधी, नेहरू, तथा अबुल कलाम आजाद के पदचिह्नों का अनुकरण करते हुए भक्त दर्शन ने भी 1939 ई. में 'कर्मभूमि' पत्र का संपादन किया। 'कर्मभूमि' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन कांग्रेस आंदोलन की विकास की दृष्टि से युगांतरकारी सिद्ध हुआ तथा प्रवेशांक से ही इसकी लोकप्रियता स्थापित हो गयी। 'कर्मभूमि' के अतिरिक्त भक्त दर्शन ने साप्ताहिक 'गढ़देश' तथा 'दैनिक भारत' जैसे पत्रों का भी संपादन किया।

स्वतंत्र भारत में भक्त दर्शन ने कई महत्वपूर्ण तथा गरिमामयी पदों को सुशोभित किया। योग्यता, ईमानदारी, सदाशयता तथा जनहित के प्रति अपूर्व समर्पण के कारण 1948 ई. में उन्हें जिला परिषद् का निर्विरोध अध्यक्ष चुना गया तथा 1950 ई. में वे गढ़वाल के नियोजन अधिकारी बने। कर्तव्यनिष्ठा तथा लोकप्रिय राजनीतिक जीवन के कारण इन्हें 1952 से 1971 ई. तक गढ़वाल संसदीय क्षेत्र से निर्वाचित होने का अवसर प्राप्त हुआ।

इस अवधि के दौरान भक्त दर्शन को तीन यशस्वी प्रधानमंत्रियों, पं. जवाहरलाल नेहरू, श्री लाल बहादुर शास्त्री तथा श्रीमती इंदिरा गांधी के साथ भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों में मंत्री के रूप में दायित्व निभाने का सुअवसर प्राप्त हुआ। भक्त दर्शन का छः दशकों का सार्वजनिक जीवन मूल्य आधारित राजनीति और व्यक्तिगत सच्चरित्रता का उत्कृष्ट उदाहरण बन गया। सक्रिय राजनीतिक जीवन से अवकाश के बाद भक्त दर्शन खादी बोर्ड के अध्यक्ष (1971–1972 ई.), कानपुर विश्वविद्यालय के कुलपति (1972–1977 ई.) तथा उतर प्रदेश हिंदी संस्थान के उपाध्यक्ष (1988–1990 ई.) रहे। हिंदी तथा गढ़वाली भाषा से उन्हें असीम अनुराग था। केन्द्रीय शिक्षा राज्य मंत्री के पद पर रहते हुए उन्होंने सदैव हिंदी भाषा के विकास के लिए सराहनीय प्रयास किया। उनके मार्गदर्शन में उतर प्रदेश हिंदी संस्थान से कई मानक ग्रंथों का प्रकाशन, अनुवाद तथा संपादन हुआ।

भक्त दर्शन उतराखंड के इतिहास में महान स्वतंत्रता सेनानी, विद्वान लेखक, निर्भीक पत्रकार व संपादक, कुशल राजनीतिज्ञ, कार्यदक्ष मंत्री तथा प्रख्यात गांधीवादी विचारक के रूप में सदैव स्मरणीय रहेंगे। राजकीय स्नातकोतर महाविद्यालय जयहरीखाल का नामकरण इस महान विभूति के नाम पर किया जाना, उस अपराजेय व्यक्तित्व के प्रति लघु श्रद्धांजलि है।

संक्षिप्त जीवन-वृत्त

जन्म	– 12 फरवरी 1912 ई.।
जन्म–स्थान	– तहसील–बासी, जिला– बस्ती, उत्तर प्रदेश।
पैतृक निवास	– ग्राम– भौराड़, पटटी– साबली, जिला– गढ़वाल।
हाई स्कूल व इंटरमीडिएट	– डी.ए.वी. कॉलेज देहरादून।
बी.ए.	– शांतिनिकेतन कलकत्ता।
एम.ए.	– इलाहबाद विश्वविद्यालय।
संपादन 'कर्मभूमि'	– 1939–1947 ई.।
सांसद गढ़वाल संसदीय क्षेत्र	– 1952–1971 ई.।
अध्यक्ष उ.प्र. खादी बोर्ड	– 1971– 1972 ई.।
कुलपति कानपुर विश्वविद्यालय	– 1972–1977 ई.।
उपाध्यक्ष, उ.प्र. हिंदी संस्थान	– 1988–1990 ई.।
निवास स्थान	– जयहरीखाल तथा देहरादून।
मृत्यु	– 30 अप्रैल 1991 ई., देहरादून।

प्रवेशार्थी निर्देशिका

1. महाविद्यालय में कला विज्ञान एवं वाणिज्य तीनों संकाय में स्नातकोत्तर स्तर तक अध्ययन की सुविधा उपलब्ध है।
2. बी.ए., बी.एससी. व बी. कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP–2020 के अनुरूप होंगे।
3. बी.एड. व स्नातक अंतिम वर्ष में वार्षिक पद्धति के अतिरिक्त समस्त स्नातक/परास्नातक कक्षाओं में सेमेस्टर पद्धति लागू है। (इस संबंध में विश्वविद्यालय द्वारा किया गया कोई भी परिवर्तन लागू होगा।)
4. वर्तमान सत्र से महाविद्यालय में कौशल विकास संबंधी पाठ्यक्रम (ऑनलाइन/ऑफलाइन) आरंभ किये जाने प्रस्तावित हैं।

विविध संकाय एवं विषय/पाठयक्रम चयन

बी.ए., बी.एससी. एवं बी. कॉम. प्रथम सेमेस्टर में प्रवेशार्थियों द्वारा आवेदन–पत्र भरते समय, महाविद्यालय में उपलब्ध विषयों में तीन विषय का चयन किया जाना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुरूप मुख्य विषय (Major Subject) तथा मुख्य ऐच्छिक विषय (Major Elective Subject) का वर्गीकरण तथा तीन अतिरिक्त पाठ्यक्रमों का चयन, प्रवेश के उपरांत संबंधित संकाय के सहयोग से किया जायेगा।

1.कला संकाय

उपलब्ध विषय

क्रमांक	विषय	स्नातक स्तर पर सीट	स्नातकोत्तर स्तर पर सीट
1	हिंदी	120	60
2	अग्रेजी	120	–
3	संस्कृत	60	–
4	इतिहास	120	60
5	भूगोल	60	–
6	राजनीति विज्ञान	120	60
7	अर्थशास्त्र	120	60

श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP–2020 के अंतर्गत उपर्युक्त उपलब्ध विषयों से निम्नांकित विषय समूह बनाये गये हैं। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशार्थी द्वारा किसी एक विषय समूह से एक मुख्य विषय (Major Subject), किसी दूसरे विषय समूह से दूसरा मुख्य विषय तथा किसी तीसरे विषय समूह से तीसरा मुख्य ऐच्छिक विषय (Major Elective Subject) चुना जाएगा। उपर्युक्त तीनों विषय अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं।

समूह A	समूह B	समूह C	समूह E	समूह F
अंग्रेजी	अर्थशास्त्र	भूगोल	हिंदी	राजनीति विज्ञान
संस्कृत		इतिहास		

स्नातक स्तर पर कला संकाय प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा विज्ञान/वाणिज्य/कला वर्ग से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा होगी।

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा विज्ञान/वाणिज्य/कला वर्ग से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा होगी।

2. विज्ञान संकाय

उपलब्ध विषय

क्रमांक	विषय	स्नातक स्तर पर सीट	स्नातकोत्तर स्तर पर सीट
1	गणित	60	–
2	भौतिक विज्ञान	60	–
3	रसायन विज्ञान	120	15
4	जंतु विज्ञान	60	15
5	वनस्पति विज्ञान	60	15
6	भू विज्ञान	60	–

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP–2020 के अंतर्गत उपर्युक्त उपलब्ध विषयों से निम्नांकित विषय समूह बनाये गये हैं। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशार्थी द्वारा किसी एक विषय समूह से एक मुख्य विषय (Major Subject), किसी दूसरे विषय समूह से दूसरा मुख्य विषय तथा किसी तीसरे विषय समूह से तीसरा मुख्य ऐच्छिक विषय (Major Elective Subject) चुना जाएगा। उपर्युक्त तीनों विषय अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं।

गणित समूह

समूह A	समूह B	समूह C
गणित	भौतिक विज्ञान	रसायन विज्ञान भू विज्ञान

जीव विज्ञान समूह

समूह A	समूह B	समूह C
वनस्पति विज्ञान	जंतु विज्ञान	रसायन विज्ञान भू विज्ञान

स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा विज्ञान वर्ग से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा होगी। विज्ञान वर्ग में प्रवेशार्थी किसी विषय समूह हेतु तभी अर्ह होगा जब इण्टरमीडिएट परीक्षा में वह उस विषय समूह में उत्तीर्ण होगा।

स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा विज्ञान के संबंधित विषय से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा होगी।

3. वाणिज्य संकाय

उपलब्ध विषय

क्रमांक	विषय	स्नातक स्तर पर सीट	स्नातकोत्तर स्तर पर सीट
1	वाणिजय	60	60

श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति NEP–2020 के अंतर्गत उपर्युक्त उपलब्ध विषयों से निम्नांकित विषय समूह बनाये गये हैं। स्नातक प्रथम सेमेस्टर के प्रवेशार्थी द्वारा किसी एक विषय समूह से एक मुख्य विषय (Major Subject), किसी दूसरे विषय समूह से दूसरा मुख्य विषय तथा किसी तीसरे विषय समूह से तीसरा मुख्य ऐच्छिक विषय (Major Elective Subject) चुना जाएगा। उपर्युक्त तीनों विषय अलग–अलग समूह से ही चुने जा सकते हैं।

समूह A	समूह B	समूह C
फाइनेंसियल एकाउंटिंग	बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क	बिजनेस ऑर्गनाइजेशन एंड मैनेजमेंट

स्नातक स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा विज्ञानध्वाणिज्यध्कला वर्ग से इण्टरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा होगी।
स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश हेतु अर्हकारी परीक्षा वाणिज्य वर्ग से स्नातक अथवा समकक्ष परीक्षा होगी।
नोटः तीनों संकायों में उपर्युक्त तीन मेजर विषयों के अतिरिक्त माइनर इलेक्टिव, वोकेशनल और को कॅरिकुलर विषयों का चयन काउंसलिंग के समय किया जायेगा।

4. शिक्षक–शिक्षा संकाय (बी.एड.)

महाविद्यालय में स्ववित्तपोषित द्विवर्षीय बी.एड. पाठ्यक्रम संचालित है। श्रीदेव सुमन उत्तराखंड राज्य विश्वविद्यालय के द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थियों को इसमें प्रवेश दिया जाता है। महाविद्यालय में विज्ञान व विज्ञानेतर समूह को मिलाकर कुल 50+5 (EWS) स्थान उपलब्ध हैं। इसके प्रवेश व संचालन नियम विश्वविद्यालय द्वारा राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) के निर्देशन में बनाये जाते हैं। प्रवेश प्रक्रिया विश्वविद्यालय द्वारा यथासमय सम्पादित की जाती है।

5. अतिरिक्त पाठ्यक्रम (Add on Courses)

वर्तमान सत्र से महाविद्यालय में निम्नांकित विभागों में रोजगारपरक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम आरंभ किये जाने प्रस्तावित हैं–

क्रमांक	पाठ्यक्रम का नाम	अवधि
1	हिंदी विभाग	3 माह
2	वनस्पति विज्ञान विभाग	3 माह
3	भौतिक विज्ञान विभाग	3 माह
4	संस्कृत विभाग	3 माह
5	वाणिज्य विभाग	3 माह

दूरस्थ शिक्षा

उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU)– महाविद्यालय परिसर में उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय (UOU) का अध्ययन केन्द्र संख्या 14005 वर्ष 2010–11 से संचालित है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (UGC) तथा उत्तराखंड शासन द्वारा व्यक्तिगत परीक्षा प्रणाली समाप्ति के उपरान्त प्रवेशार्थी दूरस्थ शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेकर लाभ उठाया जा सकता है। इस केन्द्र के पाठ्यक्रमों का लाभ कोई भी विद्यार्थी अथवा अन्य कोई नौकरीपेशा प्राप्त व्यक्ति उठा सकता है। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय के इस अध्ययन केन्द्र द्वारा संचालित ग्रीष्मकालीन एवं शीतकालीन सत्रों हेतु कार्यक्रम इस प्रकार हैं–

1. बी.ए., बी.कॉम., बी.बी.ए., बी.एससी.।
2. एम.ए. (अंग्रेजी, हिन्दी, अर्थशास्त्र, इतिहास, राजनीति विज्ञान, लोक प्रशासन, समाजशास्त्र, शिक्षाशास्त्र)।
3. एम.एससी. (भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, गणित, वनस्पति विज्ञान, जंतु विज्ञान)।
4. एम. कॉम., एम.बी.ए., एम.एस.डब्ल्यू.।
5. डिप्लोमा कोर्स– प्रबन्धन, टूरिज्म स्टडीज, जन स्वास्थ्य एवं सामुदायिक पोषण।
6. स्नातकोत्तर डिप्लोमा– मानव संसाधन प्रबन्धन, विपणन प्रबन्धन, आपदा प्रबन्धन।
7. सर्टिफिकेट कोर्स– पंचायती राज, विक्रय कला एवं विपणन, अंग्रेजी भाषा, व्यक्तित्व विकास।
8. कला एवं वाणिज्य में स्नातक हेतु प्रारम्भिक कार्यक्रम (दसवीं / बारहवीं कक्षा में अनुत्तीर्ण विद्यार्थी / जिनके पास स्नातक कक्षा में प्रवेश हेतु किसी प्रकार का औपचारिक शिक्षा प्रमाण–पत्र नहीं है)।

अनुशासन

अनुशासक मंडल (Proctorial Board) महाविद्यालय में अनुशासन बनाये रखने के लिए उत्तरदायी है। महाविद्यालय की परम्परा निभाने के लिए समय–समय पर नियम बनाये जाते है, जिनका पालन छात्रों के लिए अनिवार्य है। विद्यार्थी द्वारा किसी भी अनुचित व्यवहार या किसी नियम के उल्लंघन पर महाविद्यालय द्वारा उके विरुद्ध उचित दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। इसके अन्तर्गत निलम्बन, निष्कासन, विश्वविद्यालय परीक्षा से वंचित करना आदि सम्मिलित हैं।

उपस्थिति नियम

शासनादेश संख्या 528(1)/15–(उ.शि.)1/97 दिनांक 11 जून 1997 के अनुसार महाविद्यालय का कोई भी छात्र विश्वविद्यालय की किसी भी परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति तब तक प्राप्त नहीं कर सकेगा जब तक कि वह लेक्चर/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक, कक्षाओं में पृथक–पृथक् 75% उपस्थिति पूरी नहीं करता।.बी.एड. के छात्र–अध्यापकों की 80% उपस्थिति अनिवार्य होगी। विश्वविद्यालय की नवीनतम नियमावली के अनुसार प्रत्येक विद्यार्थी हेतु सम्बन्धित विषयों की कक्षाओं में नियमानुसार न्यूनतम 75 प्रतिशत उपस्थिति अनिवार्य होगी। विशेष परिस्थितियों में न्यूनतम उपस्थिति में छूट विश्वविद्यालय उपस्थिति नियमों में वर्णित अधिकृत स्तर से प्रदान की जा सकती है।

रैगिंग पाबंदी

रैगिंग का तात्पर्य है, **"लिखकर, बोलकर, हावभाव दिखाकर अथवा शारीरिक क्रिया से किसी विद्यार्थी को कष्ट पहुँचाना या किसी विद्यार्थी को भौतिक रूप से प्रताड़ित करना या नवागन्तुक एवं अपने से कनिष्ठ विद्यार्थियों को डराना, धमकाना, हतोत्साहित करना, उनके क्रियाकलापों में अवरोध पैदा करना, परेशान करना, मानसिक क्लेश पहुँचाना, उन्हें ऐसे कृत्य करने के लिए बाध्य करना जिन्हें वे सामान्य दशा में नहीं करते हैं अथवा जिन्हें करके वे शर्मिन्दा होते हैं, दुःखी होते हैं और ऐसा करके उनके भौतिक एवं मानसिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है तथा रैगिंग जैसे दुष्कृत्य को प्रेरित करना।"**

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के रैगिंग संबंधी विनियम 2009 में उल्लिखित प्रावधानों के अंतर्गत उच्च शिक्षण संस्थानों में रैगिंग प्रतिबंधित एवं निषिद्ध है। रैगिंग के मामले में अपराधी पाये जाने पर संबंधित छात्र–छात्रा के विरुद्ध नियमानुसार निम्नांकित दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है–

(1) प्रवेश निरस्तीकरण (2) कक्षा से निलम्बन एवं परीक्षा देने पर प्रतिबन्ध (3) छात्रवृत्ति एवं अन्य सुविधाओं पर रोक (4) छात्रावास से निष्कासन (5) रु.25,000.00 का जुर्माना (6) संस्थान से निष्कासन एवं किसी अन्य संस्था में प्रवेश पर प्रतिबंध (7) न्यायालय में मुकदमा चलाया जाना आदि।

इसके अतिरिक्त निम्नलिखित बातों पर प्रमुख रूप से ध्यान दें–

1. कक्षा व महाविद्यालय परिसर में धूम्रपान, तम्बाकू, पान, गुटखा आदि का सेवन करना दंडनीय अपराध है।
2. संस्थान के भवन व अन्य सामग्रियों को क्षति न पहुँचायें।
3. दीवारों, दरवाजों व मेजों पर न लिखें व उन पर इश्तहार न लगायें।
4. शास्ता द्वारा दिये गये निर्देशों का उल्लंघन न करें।
5. वचन या कर्म द्वारा हिंसा अथवा बल प्रयोग न करें।
6. अन्य विद्यार्थियों के साथ अशिष्ट व्यवहार न करें।
7. शिक्षकों व अधिकारियों का मन, वचन या क्रिया द्वारा निरादर न करें।
8. ऐसा कोई भी कार्य करने की कुचेष्टा न करें जिससे महाविद्यालय की गरिमा को ठेस पहुँचे।

अन्यथा स्थिति में महाविद्यालय प्रशासन द्वारा उपयुक्त दण्डात्मक कार्रवाई आरंभ की जा सकती है।

अन्य सुविधाएँ

पुस्तकालय / वाचनालय / बुक बैंक

(1) पुस्तकालय— महाविद्यालय पुस्तकालय प्रत्येक कार्य दिवस में खुला रहता है। पुस्तकें प्राप्त करने के लिए निर्धारित माँग–पत्र भरकर पुस्तकालयाध्यक्ष को देना चाहिए। इसके लिए छात्र को अपना पुस्तकालय पत्र एवं परिचय पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। परिचय पत्र के बिना पुस्तकें निर्गत नहीं की जायेंगी। पुस्तकालयाध्यक्ष द्वारा माँगे जाने पर छात्र को निर्गत पुस्तक लौटानी होगी। पुस्तकों को सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी छात्र की होगी। यदि कोई पुस्तक फट जाये, गन्दी हो जाये या किसी भाँति नष्ट हो जाये तो छात्र को उसके बदले में नयी पुस्तक लौटानी होगी। संदर्भ पुस्तकें अध्ययन कक्ष में ही पढ़ी जा सकेंगी। सभी पुस्तकें परीक्षा आरम्भ होने से एक सप्ताह पूर्व लौटानी होंगी।

(2) वाचनालय— महाविद्यालय में छात्रों के लिये दैनिक पत्र एवं पत्रिकाएँ पढ़ने एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए वाचनालय की व्यवस्था है। पत्र–पत्रिकाओं को वाचनालय से बाहर ले जाना वर्जित है। वाचनालय में सभी प्रतियोगी परीक्षाओं हेतु पुस्तकें एवं पत्रिकाएँ उपलब्ध हैं। महाविद्यालय अपने पूर्व छात्रों व क्षेत्र में प्रतियोगी परीक्षाओं को विशेष सदस्यता ग्रहण करने के पश्चात पुस्तकालय का लाभ प्रदान करता है।

सेवायोजन परामर्श केन्द्र (Career Counseling Cell)

छात्रों को विभिन्न सेवाओं में सेवायोजन हेतु सहायताध्परामर्श देने के लिए महाविद्यालय में सेवायोजन परामर्श केन्द्र की स्थापना की गयी है, जिसके अन्तर्गत छात्रों को सेवायोजन संबंधी अपेक्षित सूचना एवं परामर्श दिया जाता है। छात्रों को विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं यथा सी.पी.एम.टी., इंजीनियरिंग, आई.ए.एस., पी.सी.एस., सी.डी.एस., आदि हेतु तैयार करने के लिए निःशुल्क कोचिंग दी जाती है।

कम्प्यूटर प्रशिक्षण (ICT Lab)

उच्च शिक्षा को रोजगारोन्मुख बनाने के उद्देश्य से महाविद्यालय में व्यावसायिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का संचालन होता है। इसके माध्यम से छात्र अपनी सामान्य उपाधि के साथ–साथ महाविद्यालय प्रांगण में अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ स्थापित वैकल्पिक कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र में कम्प्यूटर प्रशिक्षण प्राप्त कर सकते हैं।

एडुसैट (EDUSAT)

महाविद्यालय के उच्च तकनीकी सुविधा से युक्त एडूसैट कक्ष में 30 विद्यार्थियों के बैठने की व्यवस्था है, जिसमें स्नातक स्तर के विद्यार्थी देहरादून हब से सेटेलाइट प्रसारण के माध्यम से अपने पाठ्यक्रम से संबंधित उच्चकोटि के उपयोगी जीवन्त वीडियो–व्याख्यानों से लाभान्वित होते हैं।

राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA)

महाविद्यालय, भारत सरकार की महत्वाकांक्षी परियोजना, राष्ट्रीय उच्चतर शिक्षा अभियान (RUSA) से आच्छादित है। जिससे प्राप्त सुविधाओं से महाविद्यालय उन्नति के पथ पर अग्रसर है।

जिम्नेजियम (Gymnasium)

महाविद्यालय में विद्यार्थियों के शरीर सौष्ठव एवं स्वास्थ्य को बनाये रखने के लिये उच्च गुणवत्ता वाले उपयोगी उपकरणों से युक्त जिम्नेजियम–सह–व्यायाम कक्ष की व्यवस्था है। यहाँ वे नियमित व्यायाम के माध्यम से अपने स्वास्थ्य का संवर्द्धन एवं विकास कर स्वयं प्रफुल्लचित्त रह सकते हैं।

महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ (Women's Cell)

छात्राओं की समस्याओं के समाधान हेतु महिला शिकायत निवारण प्रकोष्ठ गठित किया गया है। छात्राएँ अपनी किसी भी समस्या के विषय में समिति से संपर्क कर सकती हैं।

छात्र–कल्याण (Student Welfare)

(1) छात्रवृत्ति— महाविद्यालय द्वारा विभिन्न छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान प्रदान किये जाते हैं। छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75% प्रतिमाह होनी आवश्यक है। राजाज्ञानुसार छात्र को एक ही प्रकार की आर्थिक सहायता मिलती है। जो बी.एड. प्रशिक्षणार्थी छात्रवृत्ति हेतु अर्ह हैं वे भी अपने विभागाध्यक्ष से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। महाविद्यालय द्वारा वितरित प्रमुख छात्रवृत्तियाँ एवं अनुदान निम्नवत् है–

i) अनुसूचित जाति / जनजाति / अन्य पिछड़ी जाति के विद्यार्थियों के लिए छात्रवृत्ति– यह छात्रवृत्ति उक्त वर्ग के उन विद्यार्थियों को दी जाती है जो महाविद्यालय के नियमित छात्र हैं। इसके अतिरिक्त–

अ. अनुसूचित जाति के छात्र / छात्राओं हेतु माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम 1 लाख रुपये तक होनी चाहिए।

ब. अनुसूचित जनजाति के छात्र / छात्राओं हेतु माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम ढाई लाख रुपये तक होनी चाहिए। (शासनादेशानुसार)

स. पिछड़ी जाति के छात्र / छात्राओं हेतु माता–पिता या अभिभावक की वार्षिक आय अधिकतम दो लाख रुपये तक होनी चाहिए। (शासनादेशानुसार)

ii) दिव्यांग विद्यार्थियों के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति– यह छात्रवृत्ति कम से कम 40% प्रमाणित दिव्यांगता वाले महाविद्यालय के नियमित विद्यार्थियों को दी जाती है। इन विद्यार्थियों के माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय रु. 24,000 / – से अधिक नहीं होनी चाहिए। छात्रवृत्ति हेतु निर्धारित प्रार्थना–पत्र कार्यालय से प्राप्त कर आय प्रमाण पत्र एवं दिव्यांगता प्रमाणपत्र सहित कार्यालय में निर्धारित तिथि तक जमा करना होगा।

(नोट– उक्त छात्रवृत्तियाँ जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा स्वीकृत की जाती हैं।)

iii) श्रीमती गायत्री देवी–विश्वम्भर दत्त जोशी छात्रवृत्ति–यह छात्रवृत्ति ऐसे छात्र / छात्राओं को देय है जिनके माता–पिता / अभिभावक की वार्षिक आय रु० 36,000 / – हो तथा जिन्होंने स्नातक स्तर पर प्रथम / द्वितीय वर्ष की परीक्षा कम से कम 50% अंक प्राप्त किये हो तथा उन्हें अन्य किसी प्रकार की सहायता प्राप्त न हो।

विशेष– समय–समय पर उक्त छात्रवृत्तियों की दरों एवं अन्य नियमों में परिवर्तन होते रहते है, अतः विद्यार्थियों को महाविद्यालय कार्यालय तथा प्रभारी प्राध्यापक से सम्पर्क बनाये रखना चाहिए। छात्रवृत्ति पाने वाले अभ्यर्थी की उपस्थिति कम से कम 75% होनी आवश्यक है।

iv) मुख्यमंत्री मेघावी छात्र प्रोत्साहन छात्रवृत्ति वह छात्रवृत्ति पूर्व कक्षा में श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को आगामी कक्षा में दी जाती है।

v) मुख्यमंत्री वात्सल्य योजना–कोविड–19 और अन्य गंभीर बीमारी से अभिभावकों की मृत्यु की दशा में इस योजना के नियमानुसार 21 वर्ष की आयु तक के अध्ययन काल तक शुल्कमुक्ति तथा कुछ अन्य सुविधाएँ प्रदान की जाती है।

(2) शुल्क मुक्ति– निर्धन एवं मेधावी छात्रों को शुल्क मुक्ति प्रदान की जाती है। महाविद्यालय में अध्ययनरत दो या दो से अधिक सगे भाई / बहन में से एक या दो को अद्ध शुल्क मुक्ति दिये जाने का प्रावधान है। शुल्क मुक्ति उसी दशा में जारी रह सकेगी जब तक कि छात्र की प्रगति निरन्तर संतोषप्रद अध्ययन नियमित, आचरण उत्तम तथा प्रत्येक माह में उपस्थिति कम से कम 75% हो। प्राचार्य को किसी भी समय बिना कारण बताये इस सुविधा को समाप्त करने का अधिकार है।

(3) रेलवे कन्सेशन– महाविद्यालय के नियमित छात्र / छात्राओं को ग्रीष्मावकाश एवं शीतावकाश में घर जाने एवं शैक्षिक परिभ्रमण के लिए रेलवे कन्सेशन की सुविधा प्रदान की जाती है। रेल किराये में यह छूट नियमानुसार कोटद्वार से स्थायी निवास एवं वापसी यात्रा हेतु रेल विभाग द्वारा दी जाती है। इसके लिए विद्यार्थी को कम से कम 10 दिन पूर्व आवेदन करना चाहिए।

परिचय पत्र / चरित्र प्रमाण–पत्र / स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र

(1) परिचय पत्र– संस्था के नियमित छात्र / छात्रा होने के प्रमाण के रूप में प्रत्येक विद्यार्थी को प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा प्रदत्त परिचय पत्र अवश्य प्राप्त करना होगा और इसे हमेशा अपने साथ रखना होगा। परिसर में कभी भी प्रॉक्टोरियल बोर्ड द्वारा विद्यार्थी से परिचय पत्र माँगा जा सकता है। परिचय पत्र न दिखा पाने की स्थिति में उसे परिसर से निष्कासित किया जा सकता है।

(2) चरित्र प्रमाणपत्र– चरित्र प्रमाणपत्र पूरे शिक्षा सत्र में केवल दो स्थितियों में दिया जायेगा–

(i) कम से कम 6 महीने से अध्ययनरत होने पर (ii) परीक्षाफल निकलने के बाद।

नोट– चरित्र प्रमाण शास्ता (Proctor) की संस्तुति पर दिया जाता है।

(3) स्थानान्तरण प्रमाणपत्र– इस के लिए छात्र को निर्धारित फार्म पर प्राचार्य को प्रार्थना पत्र देना होगा तथा निर्धारित शुल्क जमा करना होगा। सामान्यतः प्रार्थना पत्र देने के 3 दिन बाद ही स्थानांतरण प्रमाण पत्र दिया जायेगा।

शिक्षणेतर/पाठ्य सहगामी क्रियाकलाप

विद्यार्थियों के बहुमुखी विकास हेतु महाविद्यालय में निम्नलिखित शिक्षणेतर एवं पाठ्यसहगामी गतिविधियाँ संचालित की जाती हैं–

(1) राष्ट्रीय सेवा योजना (National Service Scheme)– इसमें नियमित एवं विशेष शिविरों का आयोजन किया जाता है, जिनमें विद्यार्थी निकटवर्ती ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर वहाँ सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता संबंधी कार्य, प्रौढ़ शिक्षा आदि कार्य करते हैं। राष्ट्रीय सेवा योजना युवा शक्ति को देशहित एवं जनहित में लगाने एवं सामाजिक विषयों पर जनजागरण का माध्यम है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.एस.एस. की दो इकाईयाँ पंजीकृत हैं जिसमें अधिकृत प्रवेश स्थान 200 हैं।

(2) राष्ट्रीय कैडेट कोर (National Cadet Core)– इसके अन्तर्गत छात्रों को अर्दधसैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है। वर्तमान में महाविद्यालय में एन.सी.सी. की दो प्लाटून पंजीकृत हैं, जिसमें अधिकृत प्रवेश संख्या 106 कैडेट्स की है।

(3) रोवर्स एण्ड रेंजर्स (Rovers and Rangers)– यह स्काउट एण्ड गाइड की सीनियर शाखा होती है। इसमें अधिकृत प्रवेश संख्या 24 रोवर्स (Boys) एवं 24 रेंजर्स (Girl) है।

(4) क्रीड़ा परिषद्– महाविद्यालय में खेलकूद के स्तर में विकास एवं छात्रों की खेलों के प्रति अभिरुचि बढ़ाने के उद्देश्य से क्रीड़ा परिषद् की स्थापना की गयी है। परिसर में विभिन्न खेल–कूद एवं जिम्नेजियम की सुविधा उपलब्ध है।

(5) सांस्कृतिक परिषद्– प्रत्येक वर्ष महाविद्यालय में सांस्कृतिक परिषद् का गठन किया जाता है। इसकी कार्यकारिणी में प्रमुख भूमिका महाविद्यालय के सांस्कृतिक क्रिया–कलापों में अभिरुचि रखने वाले छात्रों की रहती है। सांस्कृतिक परिषद् विभिन्न अवसरों पर विविध कार्यक्रम तथा सत्रान्त में विशेष समारोह का आयोजन करती है। सांस्कृतिक कार्यक्रमों में गोष्ठी, परिचर्चा, वाद–विवाद प्रतियोगिता, नाटक, संगीत, नृत्य आदि प्रमुख हैं।

(6) महाविद्यालय पत्रिका– महाविद्यालय पत्रिका का प्रकाशन 'उपत्यका' के नाम से किया जाता है। इस पत्रिका का उद्देश्य छात्रों में लेखन प्रतिभा का विकास करना है। छात्रों को प्रवेश लेने के बाद सम्पादकों से रचना व लेख आदि के लिए परामर्श कर तदनुसार अपनी रचनाएँ पत्रिका संपादक को देनी चाहिए। इस कार्य में सक्रिय रूप से भाग लेने वाले छात्रों में से दो छात्र–संपादक भी चुने जाते हैं।

(7) विभागीय परिषदें– प्रत्येक विभाग में एक विभागीय परिषद् होती है और उस विभाग के समस्त विद्यार्थी परिषद् के सदस्य होते हैं। विभागीय परिषद् के तत्त्वावधान में निबन्ध, वाद–विवाद प्रतियोगिता, विचार गोष्ठी एवं अन्य उपयोगी क्रियाकलाप संचालित किये जाते हैं।

(8) प्रसार व्याख्यान माला– इसके अन्तर्गत छात्रों के सामान्य ज्ञान की अभिवृद्धि के लिए विभिन्न महत्त्वपूर्ण विषयों पर योग्य विद्वानों के व्याख्यान आयोजित किये जाते हैं।

(9) सेमिनार– महाविद्यालय में समय–समय पर विभागीय स्तर पर सेमिनार आयोजित किये जाते हैं, जिनमें विद्यार्थी को शोधपत्र प्रस्तुत करने, परिचर्चा करने एवं शोध के क्षेत्र में प्रगति करने हेतु दिशा–निर्देशन प्राप्त होता है।

(10) छात्र संघ– माननीय उच्चतम न्यायालय, लिंगदोह समिति की सिफारिश एवं शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में छात्र संघ का गठन किया जाता है। पदाधिकारियों का चुनाव संस्थागत छात्र–छात्राओं द्वारा किया जाता है। छात्र संघ में अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव, सहसचिव, कोषाध्यक्ष तथा 6 कार्यकारिणी सदस्यों के अतिरिक्त एक पद विश्वविद्यालय प्रतिनिधि का होता है। छात्र संघ का उद्देश्य छात्रों को लोकतांत्रिक प्रणाली से परिचित कराना एवं महाविद्यालय के विद्यार्थियों की समस्याओं को महाविद्यालय प्रशासन के संज्ञान में लाना है।

(11) कैंटीन– विद्यार्थियों के लिए महाविद्यालय में कैंटीन की सुविधा है। यहाँ निर्धारित दर पर चाय, अल्पाहार एवं भोजन उपलब्ध रहता है।

(12) बालिका छात्रावास– दूरस्थ क्षेत्रों की उन बालिकाओं के लिए जो प्रतिदिन अपने निवास से महाविद्यालय आवागमन में असमर्थ होती हैं, सत्र 2024–25 से सीमित संख्या में प्रवेश सुविधा के साथ बालिका छात्रावास को प्रारंभ किया जाना है।

प्रवेश प्रक्रिया व नियम

1. प्रवेश संबंधी सामान्य अनुदेश

प्रवेश निर्देशिका (Prospectus) सह प्रवेश आवेदन पत्र महाविद्यालय कार्यालय से निर्धारित मूल्य पर प्राप्त की जा सकती है। ऑनलाइन प्रवेश आवेदन होने की स्थिति में भी प्रवेश निर्देशिका महाविद्यालय से परिचय और आवेदन के पूर्व सभी प्रवेश नियमों को भली–भाँति समझने एवं महाविद्यालय में उपलब्ध विषय–समूहों की जानकारी पाने के लिए उपयोगी है।

1. प्रवेशार्थियों को पूर्णतया भरे हुए एवं निर्धारित स्थान पर अपना नवीनतम पासपोर्ट आकार का आवक्ष फोटो लगे हुए आवेदनपत्र, निम्नलिखित प्रपत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ संलग्न कर महाविद्यालय कार्यालय में निर्धारित तिथि तक प्रस्तुत करने होंगे–

(i) विगत सभी परीक्षाओं के अंक–पत्रों की प्रमाणित प्रतिलिपियाँ।

(ii) आयु प्रमाण पत्र के लिए हाईस्कूल या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण पत्र की प्रमाणित प्रतिलिपि।

(iii) अन्तिम विद्यालय का स्थानान्तरण प्रमाणपत्र (Transfer Certificate) एवं चरित्र प्रमाणपत्र (Character Certificate) की मूल प्रति।

(iv) किसी भी प्रकार के आरक्षण का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत प्रमाणपत्र की मूल प्रति।

(v) किसी भी प्रकार के भारांक का लाभ लेने के लिए सक्षम अधिकारी द्वारा निर्धारित प्रारूप में निर्गत प्रमाणपत्र की मूल प्रति।

(vi) अन्य राज्यों के प्रवेशार्थियों द्वारा पुलिस सत्यापन प्रमाण पत्र की मूल प्रति।

(vii) व्यक्तिगत परीक्षार्थी के रूप में अर्हकारी परीक्षा उत्तीर्ण प्रवेशार्थी को राजपत्रित अधिकारी द्वारा प्रदत्त आचरण संबंधी प्रमाणपत्र की मूल प्रति।

2. विश्वविद्यालय प्रवेश समिति द्वारा बनाये गये नियमों के अन्तर्गत प्राचार्य द्वारा सभी सम्बन्धित कक्षाओं में On Line पद्धति से प्रवेश किये जाएंगे। Online Portal अन्तिम तिथि के बाद स्वतः Lock हो जायेगा और प्रवेश सम्भव नहीं होगा। प्रवेश की तिथि के निर्धारण/परिवर्तन/विस्तार के सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय विश्वविद्यालय का होगा।

3. महाविद्यालय में प्रवेश हेतु विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न अभ्यर्थियों के Online प्रवेश आवेदनों के आधार पर तैयार अनन्तिम योग्यता सूची काउंसलिंग आरम्भ होने की निर्धारित तिथि से पूर्व महाविद्यालय को उपलब्ध करा दी जाएगी। महाविद्यालय अनिवार्य रूप से स्वयं उपस्थित उन्हीं विद्यार्थियों को प्रवेश देगा, जिनकी समस्त अर्हताओं तथा On Line प्रवेश आवेदन पत्र में अंकित सूचनाओं का सत्यापन मूल अंकपत्रों व प्रमाणपत्रों के आधार पर महाविद्यालय की प्रवेश समिति के द्वारा कर लिया गया हो।

4. (क) जो अभ्यर्थी नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया गया हो, उसे किसी भी पाठ्यक्रम/कक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। यदि प्रवेश के बाद उसे नैतिक भ्रष्टाचार अथवा हिंसा के अभियोग में न्यायालय द्वारा दण्डित किया जाता है, तो उसका प्रवेश महाविद्यालय द्वारा निरस्त कर दिया जाएगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।

(ख) यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय की किसी कक्षा में धोखाधड़ी से प्रवेश लेता है, तो उसका प्रवेश प्राचार्य द्वारा किसी भी स्तर पर निरस्त किया जा सकता है तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।

(ग) यदि किसी छात्र के विरुद्ध न्यायालय में कोई वाद चल रहा हो और वह जमानत पर रिहा हो चुका हो, ऐसे छात्र को मा. न्यायालय के आदेश के क्रम में अर्ह होने पर ही प्रवेश देने पर विचार किया जा सकता है।

(घ) किसी विद्यार्थी को आपराधिक गतिविधि के कारण पुलिस/प्रशासन द्वारा निरुद्ध किये जाने की दशा में सम्बन्धित छात्र को निरुद्ध की गयी अवधि के लिए महाविद्यालय परिसर से तुरन्त निलम्बित कर दिया जाएगा तथा दण्डित किये जाने पर उसका प्रवेश निरस्त हो जाएगा। प्राचार्य/समिति युक्तिसंगत कारण होने पर अपने विवेकानुसार किसी भी समय प्रवेश अस्वीकार/निरस्त कर सकते हैं। इस सम्बन्ध में उनका निर्णय अन्तिम होगा तथा इसकी लिखित सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।

5. (क) किसी भी ऐसे अभ्यर्थी को जो किसी अन्य संस्थान में अनुशासनहीनता करने पर दण्डित किया गया हो, विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर/महाविद्यालय में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

(ख) किसी भी अभ्यर्थी को यदि विश्वविद्यालय / महाविद्यालय में अनुचित साधन प्रयोग करने पर दण्डित किया गया हो, ऐसे अभ्यर्थी को अनुचित साधन प्रयोग हेतु विश्वविद्यालय द्वारा दिये गये दण्ड स्वरूप विश्वविद्यालय के किसी भी परिसर / महाविद्यालय में प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश नहीं दिया जाएगा तथा ऐसे अभ्यर्थी द्वारा यह तथ्य अप्रकट रखते हुए लिये गये प्रवेश को प्रवेश नियम के अन्तर्गत धोखाधड़ी से प्रवेश लेना' माना जायेगा तथा ऐसे प्रकरण की जानकारी होने पर महाविद्यालय द्वारा यथोचित वैधानिक कार्यवाही की जायेगी, जिसकी सूचना विश्वविद्यालय को प्रेषित कर दी जाएगी।

6. किसी भी विद्यार्थी ने यदि विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अपना प्रवजन प्रमाण–पत्र (Migration Certificate) महाविद्यालय में जमा न किया हो, तो ऐसे विद्यार्थी को दिया गया प्रवेश सक्षम अधिकारी द्वारा निरस्त किया जा सकता है।

7. अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़े वर्ग इत्यादि के अभ्यर्थियों को विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु आरक्षण उत्तराखण्ड शासन के निर्देशों के अनुसार अनुमन्य होगा, जो कि निम्नवत है–

1–	अनुसूचित जाति	19 प्रतिशत
2–	अनुसूचित जनजाति	04 प्रतिशत
3–	अन्य पिछड़ा वर्ग	14 प्रतिशत
4–	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग	10 प्रतिशत (निर्धारित सीटों के अतिरिक्त)

(आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग व अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो उत्तराखण्ड शासन द्वारा निर्धारित वैधता अवधि से पूर्व का न हो)

8. स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों, महिलाओं, भूतपूर्व सैनिकों तथा दिव्यांग व्यक्तियों को उत्तराखण्ड सरकार के शासनादेशानुसार क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा–

1)	महिलाएँ	30 प्रतिशत
2)	भूतपूर्व सैनिक	05 प्रतिशत
3)	दिव्यांग	05 प्रतिशत
4)	स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रित	02 प्रतिशत

(जो महिला / व्यक्ति जिस वर्ग का होगी / होगा उसे उसी श्रेणी का क्षैतिज आरक्षण (Horizontal Reservation) अनुमन्य होगा, किन्तु प्रत्येक वर्ग में सामान्य योग्यता क्रम में यदि चयन के बाद उपर्युक्त प्रतिशत के साथ यदि अभ्यर्थियों की संख्या पूर्ण हो जाती है तो अतिरिक्त आरक्षण देय नहीं होगा)।

उत्तराखण्ड शासन द्वारा नीति संशोधन के अनुसार आरक्षण की स्थिति निर्धारित की जा सकती है।

9. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त निर्देशों के आधार पर कश्मीरी विस्थापित छात्रों को प्रवेश में निम्नलिखित सुविधायें प्रदत्त की जाएगी–

(i) Extention in date of admission up to 30 days.

(ii) Relaxation in cut & off percentage up to 10% subject to minimum eligibility requirement.

(iii) Waiving of domicile requirements.

10. स्नातक स्तर पर प्रवेश लेने वाले छात्रों को निम्नलिखित श्रेणी में आने पर वांछित प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की दशा में उनके सम्मुख अंकित अंकों का लाभ देय होगा–

(क) एन.सी.सी. बी अथवा सी प्रमाण पत्र प्राप्त अभ्यर्थी 25 अंक

(ख) राष्ट्रीय सेवा योजना के अन्तर्गत विशेष शिविर (कम से कम सात दिवसीय शिविर में भाग लेने पर) 25 अंक

(ग) प्रतिरक्षा सेनाओं में कार्यरत अथवा सेवानिवृत्त कर्मचारियों या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगाभाई / बहन 20 अंक

(घ) जम्मू–कश्मीर में तैनात अर्द्ध सैनिकों के पुत्र / पुत्री पति / पत्नी / सगा भाई बहन तथा जम्मू कश्मीर से विस्थापित या उनके पुत्र / पुत्री / पति / पत्नी / सगाभाई / बहन 20 अंक

(ङ) अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर किसी मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 50 अंक
(च) अन्तर– विश्वविद्यालय / राज्य / राष्ट्रीय स्तर पर खेल में पदक प्राप्त करने पर 40 अंक
(छ) शासन द्वारा / खेल फैडरेशन द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर पर खेल में प्रतिभाग करने पर 30 अंक
(ज) राज्य / अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
(झ) अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने पर 25 अंक
(ञ) अन्तर महाविद्यालय स्तर पर मान्यता प्राप्त खेल प्रतियोगिता में विजेता अथवा उपविजेता 25 अंक
(ट) जिला शिक्षा अधिकारी / सक्षम अधिकारी द्वारा निर्गत प्रतियोगिता प्रमाण पत्र जिला / मण्डल स्तर पर खेल में प्रतिभाग के आधार पर 20 अंक
(ठ) अन्तर– महाविद्यालय प्रतियोगिता में परिसर / महाविद्यालय / संस्थान की किसी खेल की टीम का सदस्य होने पर 15 अंक

नोट– उपर्युक्त श्रेणियों में आने वाले अभ्यर्थियों को अधिकतम् 50 अंकों का लाभ देय होगा। उपर्युक्त लाभ केवल न्यूनतम योग्यता धारकों को प्रवेश हेतु देय होगा तथा उक्त के अन्तर्गत प्राप्त अंकों का लाभ किसी भी कक्षा में प्रवेश के लिए अर्हता निर्धारण हेतु नहीं जोड़ा जाएगा। यह केवल वरीयता निर्धारण हेतु प्रयोग में लाया जाएगा।

11. यदि किसी अभ्यर्थी ने स्नातक स्तर पर किसी विषय / संकाय / महाविद्यालय में प्रवेश ले लिया है और उसके उपरान्त वह अपने विषय / संकाय / महाविद्यालय में परिवर्तन चाहता है तो उक्त परिवर्तन सम्बन्धित परिसरों / महाविद्यालयों / संस्थानों द्वारा उक्त अनापत्ति (NOC) के पश्चात् निर्धारित शुल्क जमा करते हुए प्रवेश हेतु निर्धारित अन्तिम तिथि तक स्थान रिक्त होने की दशा में ही अनुमन्य होगा।

12. महाविद्यालय में बिना स्थानान्तरण प्रमाण–पत्र (टी.सी.)व सी.सी. के किसी भी विद्यार्थी को स्नातक कक्षाओं / पाठ्यक्रमों में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। विशेष परिस्थिति में प्रवेश अनुमन्य किये जाने पर अधिकतम एक माह के भीतर महाविद्यालय में स्थानान्तरण प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा, अन्यथा प्रवेश निरस्त किया जा सकता है।

13. अभ्यर्थी के प्रवेश से सम्बन्धित वाद–विवाद के निपटारे हेतु सम्बन्धित महाविद्यालय में संस्थाध्यक्ष की अध्यक्षता में गठित प्रवेश समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा, जो कि अभ्यर्थी को मान्य होगा।

14. बी.एड. में प्रवेश श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित प्रवेश सम्बंधित नियमों के आधार पर तथा उत्तराखंड सरकार के शासनादेशों एवं राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद् (NCTE) द्वारा निर्धारित मानदण्डों के अनुसार किया जायेगा।

❖ स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में प्रवेश प्राचार्य द्वारा, उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा परिषद् से अनुमोदित बोर्ड / यू.जी.सी. से मान्यता प्राप्त बोर्ड से अर्हकारी परीक्षा (इण्टरमीडिएट / 12वीं इत्यादि) में अभ्यर्थी के प्राप्तांकों के अनुसार योग्यता अंकों के आधार पर किए जाएंगे। कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय के अन्तर्गत स्नातक प्रथम सेमेस्टर की कक्षा में स्थानों की निर्धारित सीमा के भीतर योग्यता क्रम के आधार पर प्रवेश हेतु न्यूनतम अर्हता निम्नवत् होगी–

कला संकाय हेतु इण्टरमीडिएट 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत), विज्ञान संकाय हेतु इण्टरमीडिएट (विज्ञान) 45 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत) तथा वाणिज्य संकाय हेतु इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय सहित 40 प्रतिशत अंको के साथ उत्तीर्ण (40 प्रतिशत का तात्पर्य 40 प्रतिशत से ही होगा न कि 39.99 प्रतिशत) अथवा इण्टरमीडिएट कला / विज्ञान में 45 प्रतिशत अंकों के साथ उत्तीर्ण (45 प्रतिशत का तात्पर्य 45 प्रतिशत से ही होगा न कि 44.99 प्रतिशत) इण्टरमीडिएट वाणिज्य विषय के साथ उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रवेश में प्राथमिकता दी जाएगी। अनुसूचित जाति / जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु प्रत्येक संकाय के अन्तर्गत प्रवेश हेतु निर्धारित अर्हता में 5 प्रतिशत अंकों की छूट अनुमन्य होगी।

❖ यदि कोई छात्र स्नातक स्तर के प्रथम सेमेस्टर प्रथम वर्ष की परीक्षा में अनुतीर्ण हो गया हो अथवा प्रथम सेमेस्टर / प्रथम वर्ष के उपरान्त छात्र पुनः प्रथम सेमेस्टर में अपना संकाय परिवर्तित कर प्रवेश चाहता है, तो ऐसे छात्र द्वारा महाविद्यालय में प्रवेश लेने हेतु योग्यता सूची में आने पर एवं महाविद्यालय में सीट रिक्त होने की दशा में उस परिसर महाविद्यालय की प्रवेश समिति द्वारा प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश दिये जाने हेतु विचार किया जा सकता है।

❖ शिक्षणेत्तर कार्यकलापों में राष्ट्रीय स्तर, राज्य स्तर अथवा अन्तर विश्वविद्यालय स्तर पर प्रथम द्वितीय अथवा तृतीय स्थान / पदक प्राप्त प्रतिभाशाली छात्रों को प्राचार्य की संस्तुति पर, विश्वविद्यालय के मा. कुलपति अपने विशेषाधिकार का उपयोग करते हुए प्रवेश के सम्बन्ध में निर्णय देने हेतु अधिकृत होंगे।

❖ परीक्षा समाप्ति के उपरान्त विद्यार्थियों का अगले सेमेस्टर में अस्थाई प्रवेश अनुमन्य करते हुए पठन–पाठन प्रारंभ किया जाएगा।

❖ स्नातक कक्षा में राज्य से बाहर के अभ्यर्थियों को योग्यताक्रम में आने पर 10 प्रतिशत से अधिक सीटों में प्रवेश अनुमन्य नहीं किया जाएगा और केवल स्थान रिक्त रहने एवं प्रवेश की अवधि रहने पर ही इससे अधिक स्थानों पर प्रवेश अनुमन्य हो सकेगा।

❖ प्राचार्य को बिना कारण बताए प्रवेश न देने/निरस्त करने का अधिकार होगा।

नोट– विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित उक्त नियमों में आवश्यकता के अनुरूप परिवर्तन करने का अधिकार श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड विश्वविद्यालय के पास सुरक्षित होगा तथा परिवर्तन सभी पक्षों को मान्य होगा।

2. प्रवेश हेतु योग्यता सूचकांक का निर्धारण

1. स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर पर प्रवेश उत्तराखण्ड समर्थ प्रवेश पोर्टल के योग्यता सूचकांक के आधार पर दिये जायेंगे।

2. स्नातकोत्तर स्तर पर अन्य योग्यताओं के लिए अतिरिक्त अंक पूर्व वर्णित नवीन नियमावली के अनुरूप ही देय और प्रभावी होंगे।

माननीय उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड, नैनीताल द्वारा पारित आदेश के अनुपालन में शासन के पत्र संख्या–153/XXIV(4)/2017–09(35)/2016, दिनांक– 6 जून, 2017 एवं निदेशालय के पत्रांक डिग्री–विधि/ 3440–3557/ 2017–18, दिनांक– 7 जून, 2017 के माध्यम से महाविद्यालय में पूर्व में लागू उत्तराखण्ड माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, मण्डल के विद्यालयों से उत्तीर्ण अभ्यर्थियों, महाविद्यालय के प्राध्यापकों/कर्मचारियों के पाल्यों एवं पोषक विद्यालयों से इण्टरमीडिएट परीक्षा उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को प्रदान किये जाने वाले वरीयता अंकों की व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया है।

शासन/विश्वविद्यालय से आवश्यक निर्देश प्राप्त होने पर उपर्युक्त नियमों में यथावश्यकता परिवर्तन किया जा सकता है।

3. विद्यार्थियों के लिए निर्देश

1. सफल प्रवेशार्थी सूचना पट पर निर्दिष्ट सूचना के अनुसार निर्धारित तिथि तक महाविद्यालय कार्यालय में पूरा शुल्क जमा करने के तुरन्त बाद संबंधित विभाग से सम्पर्क करें।

2. प्रत्येक विषय में समय–सारणी (Time Table) के अनुसार व्याख्यान/सेमिनार/ट्यूटोरियल/प्रायोगिक कक्षाएं आरंभ होती है। अतः अपनी कक्षाओं में नियमित रूप से उपस्थित रहें, जिससे 75% से कम उपस्थिति न हो।

3. विश्वविद्यालय के नियमानुसार महाविद्यालय के प्रत्येक विभाग द्वारा आन्तरिक परीक्षाएँ आयोजित की जाती हैं जिसके प्राप्त अंक मुख्य परीक्षा के अंको के साथ जोड़े जाते हैं। विद्यार्थियों को अपने विषय की आंतरिक परीक्षा देना अनिवार्य है यदि महाविद्यालय द्वारा नियत तिथि पर विद्यार्थी परीक्षा नहीं देता है तो इसकी पूर्ण उत्तरदायित्व विद्यार्थी का होगा। नियत तिथि के बाद कोई आंतरिक परीक्षा आयोजित नहीं की जायेगी। विशेष परिस्थितियों में समिति द्वारा निर्णय लिया जायेगा।

4. प्रत्येक संस्थागत विद्यार्थी को महाविद्यालय में परिचय–पत्र हमेशा अपने साथ रखना अनिवार्य है। बिना परिचय पत्र के महाविद्यालय में प्रवेश नहीं करने दिया जायेगा।

नोट–

1. वार्षिक शुल्क का कक्षावार विवरण आगे तालिका में दिया गया है।

2. शासन/विश्वविद्यालय द्वारा समय–समय पर प्राप्त निर्देशानुसार वर्णित शुल्क मदों में यथावश्यकता संशोधन किया जायेगा।

3. परिचय पत्र एवं शुल्क रसीद की द्वितीय प्रति के लिए रु. 50/–देय होंगे।

शुल्क विवरण

क्रमांक	विवरण	स्नातक स्तर	स्नातकोत्तर स्तर
1	प्रवेश शुल्क	3.00	3.00
2	मँहगाई शुल्क	240.00	240.00
3	विकास शुल्क	20.00	20.00
4	पुस्तकालय शुल्क	3.00	10.00
5	प्रयोगशाला शुल्क	240.00	240.00
6	विद्युत एवं जल शुल्क	60.00	60.00
7	विविध शुल्क	100.00	100.00
8	पत्रिका	50.00	50.00
9	वाचनालय	30.00	30.00
10	विभागीय परिषद्	50.00	50.00
11	निर्धन छात्र सहायता	10.00	10.00
12	परिचय पत्र	25.00	25.00
13	छात्रसंघ	45.00	45.00
14	रोवर्स / रेंजर्स	30.00	30.00
15	महाविद्यालय दिवस	20.00	20.00
16	सांस्कृतिक परिषद्	45.00	45.00
17	महाविद्यालय प्रांगण विकास	50.00	50.00
18	कंप्यूटर इन्टरनेट	80.00	80.00
19	जनरेटर शुल्क	50.00	50.00
20	प्रयोगशाला सामग्री	60.00	60.00
21	कॅरियर काउंसलिंग सेल	30.00	30.00
22	प्रसाधन शुल्क	50.00	50.00
23	क्रीड़ा शुल्क	300.00	300.00
24	प्रायोगिक मौखिक (प्रति प्रायोगिक विषय)	50.00	50.00
25	पी.टी.ए. शुल्क	30.00	30.00
26	कॉशन मनी	200.00	200.00

विशेष– उक्त वर्णित शुल्क के अतिरिक्त किसी भी प्रकार का शुल्क महाविद्यालय द्वारा नहीं लिया जाता है। अन्यथा की स्थिति में महाविद्यालय के सूचना पट पर प्राचार्य के आदेश से सूचना प्रकाशित की जायेगी। विद्यार्थी किसी भी प्रकार का शुल्क बिना शुल्क रसीद प्राप्त किये जमा नहीं करेंगे। विश्वविद्यालय स्तर के शुल्क जैसे परीक्षा, उपाधि इत्यादि विश्वविद्यालय द्वारा ही लिये जाते हैं।

महाविद्यालय परिवार

संरक्षक	प्रो. लवनी आर. राजवंशी	प्राचार्य
	कला संकाय	
1. हिन्दी विभाग	1. श्री उमेश ध्यानी	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. सुश्री नीना शर्मा	गेस्ट फैकल्टी
2. अंग्रेजी विभाग	1. श्रीमती कृतिका क्षेत्री	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. रिक्त	असिस्टेंट प्रोफेसर
3. संस्कृत विभाग	1. डॉ. शिप्रा	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
4. अर्थशास्त्र विभाग	1. डॉ. रेखा यादव	गेस्ट फैकल्टी (विभाग प्रभारी)
	2. डॉ. नेहा शर्मा	गेस्ट फैकल्टी
5. इतिहास विभाग	1. श्री अभिषेक कुकरेती	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
6. भूगोल विभाग	1. डॉ. अर्चना नौटियाल	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. डॉ. भगवती प्रसाद	गेस्ट फैकल्टी
	3. श्री तारा सिंह	अनुसेवक
7. राजनीति विज्ञान विभाग	1. श्री अजय रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2.श्रीमती वंदना ध्यानी बहुगुणा	असिस्टेंट प्रोफेसर
	वाणिज्य संकाय	
1. वाणिज्य	1. डॉ. पंकज कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. श्री वीरेंद्र कुमार सैनी	असिस्टेंट प्रोफेसर
	3. श्री वरुण कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर
	विज्ञान–संकाय	
1. जन्तु विज्ञान विभाग	1. डॉ. संजय मदान	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. श्रीमती श्रद्धा भारती	असिस्टेंट प्रोफेसर
	3. रिक्त	असिस्टेंट प्रोफेसर
	4. सुश्री रंजना	प्रयोगशाला सहायक (संविदा)
	5. श्री अनिल सिंह	अनुसेवक (संविदा)
2. वनस्पति विज्ञान विभाग	1. डॉ. राकेश कुमार द्विवेदी	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. डॉ. दिवाकर चंद्र बेबनी	असिस्टेंट प्रोफेसर
	4 डॉ. पवनिका चन्दोला	गेस्ट फैकल्टी
	5. श्री बालेन्दु कृष्ण नेगी	प्रयोगशाला सहायक (संविदा)
	6. श्री धर्मेन्द्र सिंह	अनुसेवक (संविदा)

3. रसायन विज्ञान विभाग	1. प्रो. शैलेन्द्र प्रकाश मधवाल	प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. डॉ. मोहम्मद शहजाद	असिस्टेंट प्रोफेसर
	3. डॉ. प्रीति रावत	असिस्टेंट प्रोफेसर
	4. रिक्त	प्रयोगशाला सहायक
	5. श्री अंकुर	अनुसेवक (संविदा)
4. भौतिक विभाग	1. डॉ. कमल कुमार	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. डॉ. शुभम काला	गेस्ट फैकल्टी
	3. श्री पंकज रावत	अनुसेवक
5. गणित विभाग	1. डॉ. दीपचन्द्र मिश्रा	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. डॉ. विनीता देवी	असिस्टेंट प्रोफेसर
6. भू विज्ञान विभाग	1. श्रीमती गुंजन आर्य	असिस्टेंट प्रोफेसर (विभाग प्रभारी)
	2. डॉ. मनोज कुमार परमार	गेस्ट फैकल्टी
	3. श्रीमती दीप्ति देवी	अनुसेवक

शिक्षणेतर कर्मी

1. कार्यालय	1. श्री सतीश चंद्र पोखरियाल	मुख्य प्रशासनिक अधिकारी
	2. श्री राजीव रजवार	वरिष्ठ प्रशासनिक अधिकारी
	3. श्री जयवीर सिंह नेगी	वैयक्तिक सहायक
	4. श्री विनोद सिंह	लिपिक (संविदा)
	5. रिक्त	दफ्तरी
	6. श्री प्रदीप सिंह	अर्दली
	7. श्री बृजमोहन सिंह	अनुसेवक
	8. श्री सोनू वाल्मीकि	स्वच्छक
	9. श्री रूपसिंह नेगी	अनुसेवक (संविदा)
	10. श्री अजयपाल सिंह रावत	अनुसेवक (संविदा)
2. पुस्तकालय	1. रिक्त	पुस्तकालयाध्यक्ष
	2. रिक्त	बुक लिफ्टर
	3. श्री पंकज कुमार मैंदोला	अनुसेवक
	4. श्री साजन सिंह	अनुसेवक (संविदा)

स्ववित्त पोषित बी.एड. पाठ्यक्रम

1. शिक्षक–शिक्षा संकाय	1. डॉ. रामकृपाल सिंह	विभागाध्यक्ष (संविदा)
	2. श्री आशीष गौड़	प्राध्यापक (संविदा)
	3. श्री विमल रावत	शारीरिक शिक्षक (संविदा)
2. शिक्षणेतर कर्मी (बी.एड.)		
	1. श्री कुलदीप सिंह बिष्ट	लेखाकार (संविदा)
	2. श्री प्रकाश असवाल	कार्यालय सहायक (संविदा)
	3. श्री अंजय सिंह रावत	प्रयोगशाला सहायक (संविदा)
	4. श्री मनोज कुमार	परिचारक (संविदा)
	5. श्री मुकेश चन्द्र	परिचारक (संविदा)

एंटी रैगिंग संबंधी सूचना

विश्व विद्यालय अनुदान आयोग नई दिल्ली के निर्देशानुसार प्रत्येक छात्र/छात्रा तथा उसके अभिभावक द्वारा एंटी रैगिंग का शपथ–पत्र ऑन लाइन ही भरे जायेंगे। ऑनलाइन भरने हेतु निम्नांकित बेबसाइट का प्रयोग करें–

www.antiragging.in या www.amanmovement.org

ऑनलाइन शपथ–पत्र भरने के उपरान्त शपथपत्र की पंजीकरण संख्या प्रवेश आवेदन पर अंकित करें व शपथपत्र की सॉफ्ट कॉपी महाविद्यालय को ar.bdgpgc.jaiharikhal@gmail.com पर प्रेषित करें।

एकीकृत प्रवेश पोर्टल

उच्च शिक्षा विभाग उत्तराखण्ड शासन द्वारा महाविद्यालयों में प्रवेश हेतु एकीकृत पोर्टल की स्थापना की गयी है। जिसकी वेब साईट निम्नवत् है –

www.ukadmission.samarth.ac.in

महिलाओं के सम्मान की रक्षा हेतु विशेष प्रावधान

सर्वोच्च न्यायालय के आदेश एवं तदुपरान्त जारी शासन व विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के निर्देशों के अनुपालन में महाविद्यालय में महिलाओं के विरूद्ध यौन उत्पीड़न की रोकथाम हेतु एक प्रकोष्ठ गठित है, जिसमें प्रमुख रूप से महिला सदस्य सम्मिलित हैं, परिसर में महिलाओं के सम्मान की अवहेलना की सूचना का संज्ञान लेता है।

भक्त दर्शन राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय जयहरीखाल (गढ़वाल)

शैक्षिक पंचांग 2024-25

(शासनादेश संख्या- HIG-1-11/1101/22/2022-XXIV-C-1 दिनांक-23/204/2024 के अनुसार)

1. स्नातक प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण- इंटरमीडिएट परीक्षा परिणाम से 31/05/2024
2. स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु पंजीकृत की प्रवेश प्रक्रिया- 01/06/2024 से 20/06/2024
3. ग्रीष्मकालीन अवकाश- 21/06/2024 से 10/07/2024
4. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर में प्रवेश पूर्व ऑनलाइन पंजीकरण- 01/07/2024 से 13/07/2024
5. स्नातक प्रथम सेमेस्टर हेतु इंडक्शन कार्यक्रम- 12/07/2024
6. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर के अतिरिक्त विषम सेमेस्टर का शिक्षण प्रारम्भ- 13/07/2024
7. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर हेतु पंजीकृत की प्रवेश प्रक्रिया- 15/07/2024 से 20/07/2024
8. स्नातकोत्तर प्रथम सेमेस्टर का शिक्षण प्रारम्भ- 22/07/2024
9. विभिन्न विभागीय परिषदों/समितियों का गठन- 05/08/2024
10. छात्र संघ चुनाव- 30/09/2024 से पूर्व
11. वार्षिक क्रीड़ा समारोह- अक्टूबर, 2024 अंतिम सप्ताह
12. कक्षा/आंतरिक मूल्यांकन की अंतिम तिथि- 08/11/2024 (स्नातक), 20/11/2024 (स्नातकोत्तर)
13. विषम सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ- 09/11/2024 (स्नातक), 21/11/2024 (स्नातकोत्तर)
14. एन.एस.एस. वार्षिक शिविर- दिसंबर, 2024 अंतिम सप्ताह
15. शीतावकाश- 01/01/2025 से 20/01/2025
16. सम सेमेस्टर शिक्षण प्रारम्भ- 21/01/2025
17. वार्षिक समारोह- मार्च/अप्रैल 2025
18. कक्षा/आंतरिक मूल्यांकन समापन की अंतिम तिथि- 10/05/2025
19. समस्त सम सेमेस्टर परीक्षा प्रारम्भ- 11/05/2025

नोट– शासन के निर्देशानुसार महाविद्यालय में शिक्षण सत्र 2017–2018 से ड्रेस कोड लागू किया गया है, जो समस्त छात्र/छात्राओं हेतु निम्नवत् होगा–

छात्र वर्ग– नेवी ब्ल्यू पैन्ट और आसमानी कमीज।

छात्रा वर्ग– नेवी ब्ल्यू कमीज और सफेद सलवार एवं दुपट्टा।

GOLDEN JUBILEE CELEBRATIONS